

## राशि आहरण आदेश

### (समावेशी शिक्षा अन्तर्गत (CWSN) एक्सपोजर विजिट 2025-26)

रास्कूशिप जयपुर के दिशा-निर्देश क्रमांक 16652222 दिनांक 01.08.2025 तथा प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 17302006 दिनांक 22.08.2025 एवं वित्तीय आहरण सीमा स्वीकृति क्रमांक 17393377 दिनांक 27.08.2025 के अनुसार समावेशी शिक्षा अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को बाहरी वातावरण के ज्ञान द्वारा आत्म विश्वास एवं व्यक्तित्व विकास हेतु अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से एक्सपोजर विजिट सत्र 2025-26 का आयोजन किया जाना है। एक्सपोजर विजिट के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को ऐतिहासिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, ब्लॉक में संचालित विशेष विद्यालयों, संदर्भ कक्षों, बैंक, डाकघर, म्युजियम, चिड़ियाघर आदि स्थलों की यात्रा एवं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा के अर्न्तजिला Exposure Visit रास्कूशिप जयपुर के दिशा-निर्देशानुसार किया जाना है। इस हेतु प्रति ब्लॉक 20000/- रु. के हिसाब से 15 संभागीयों (10 विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकायें, 02 सामान्य बालक-बालिकायें एवं 03 अन्य संभागी (संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/अभिभावक) हेतु निम्नानुसार राशि समावेशी शिक्षा मद के स्पोर्ट्स एवं एक्सपोजर विजिट (SNA Portal Component Provision for Children with Special Needs (CWSN)) से सीबीईओ कार्यालय को स्थानीय कार्यालय के एसएन खाते RJ523 से जारी करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	खेल एवं एक्सपोजर विजिट की राशि
1	AMBER	20000
2	BASSI	20000
3	CHAKSU	20000
4	DUDU	20000
5	GOVINDGARH	20000
6	JAIPUR EAST	20000
7	JAIPUR WEST	20000
8	JALSU	20000
9	JAMWA RAMGARH	20000
10	JHOTWARA	20000
11	JHOTWARA CITY	20000
12	KOTPUTLI	20000
13	PAOTA	20000
14	PHAGI	20000
15	SAMBHAR LAKE	20000
16	SANGANER	20000
17	SANGANER CITY	20000
18	SHAHPURA	20000
19	VIRATNAGAR	20000
20	ANDHI	20000
21	JOBNER	20000
22	KISHANGARH RENWAL	20000
23	KOTKHAWADA	20000
24	MADHORAJPURA	20000
25	MAUZAMABAD	20000
26	TUNGA	20000
	<b>TOTAL</b>	<b>520000</b>

अक्षरे राशि पांच लाख बीस हजार रु. मात्र।



उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में अनुमोदित राशि से अधिक राशि व्यय नहीं की जाये।
2. राशि का उपयोग संबंधित मद में ही किया जाये।
3. राशि का उपयोग जारी दिशा-निर्देशानुसार एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों व प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए किया जाये।
4. उक्त राशि का व्यय निम्नानुसार किया जावेगा :-

क्र.स.	मद	दर	राशि
1	बस किराया एवं ठहरने की व्यवस्था (वास्तविक)	650	9750
2	चाय, नाश्ता एवं भोजन (प्रति संभागी/प्रति दिवस)	350	5250
3	प्रतिवेदन/बैनर/टिकट दर्शनीय स्थल, परिचय पत्र स्टेशनरी (एक कॉपी एक पैस)	100	1500
4	बालक-बालिकाओं का जिला मुख्यालय तक आने-जाने का वास्तविक किराया	वास्तविक	2500
5	विविध व्यय आवश्यकता की स्थिति में		1000
योग :-			20000

(दीपक शुक्ला)  
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी  
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा, जयपुर  
दिनांक :- As Per Rajkaj

क्रमांक : मुजिशिअ/समग्र शिक्षा/जय/2025-26/As Per Rajkaj  
प्रतिलिपि:-

1. संबंधित सीबीईओ।
2. लेखा शाखा हाजा कार्यालय।
3. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी  
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा, जयपुर